

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर
—:: आदेश ::—


नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020

क्रमांक एफ 1-13/2017/29-1 :: छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम-2011 के नियम 16(3) की अनुसूची 8 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम-2011 के नियम 11(3) की अनुसूची 3 के अनुसार निर्माता विक्रेता एवं सुधारक अनुज्ञप्ति जारी सेवाएं अनिवार्य करते हुए, नवीन अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण ऑनलाईन जारी करने के संदर्भ में विधिमान्य समझे जायेंगे।

2/ यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,

तथा आदेशानुसार,


(सुधीर कुमार काली)


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग
24/12/20

पृ. क्र. एफ 1-13/2017/29-1 : अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 24 दिसंबर 2020
प्रतिलिपि:-

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
02. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर।
03. संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर।
04. नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।
05. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम/नागरिक आपूर्ति निगम, नवा रायपुर अटल नगर।
06. समस्त जिला-कलेक्टर.....
07. समस्त सहायक नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़।
08. समस्त निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़।


24.12.2020
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग
24/12/20


24/12/2020